

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-19/2020-21

छोटानागापुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

चैतन्य सिंह मुण्डा बनाम शिव शंकर सिंह मुण्डा

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

चैतन्य सिंह मुण्डा पिता-स्व० श्रीपति सिंह मुण्डा,
ग्राम-दारुआड़ा, पो०-बारेडीह, थाना-तमाड़ (राँची)
जाति-मुण्डा (अनुसूचित जनजाति) पेशा-नौकरी।

क्रेता का नाम एवं पता -

शिव शंकर सिंह मुण्डा पिता-श्री टहल सिंह मुण्डा,
ग्राम-दुल्मी, पो०-बारेडीह, थाना-तमाड़ (राँची)
जाति-मुण्डा (अनुसूचित जनजाति) पेशा-नौकरी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री शिव शंकर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-08/08/2020 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता शिव शंकर सिंह मुण्डा पिता-श्री टहल सिंह मुण्डा, ग्राम-दुल्मी, पो०-बारेडीह, थाना-तमाड़ (राँची) जाति-मुण्डा (अनुसूचित जनजाति) पेशा-नौकरी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
गोसाईडीह	बुण्डू/13	97	317	015 डी० चौहद्दी:- उ०-नीज विक्रेता। द०-खगेश्वर महतो वगैरह। पू०-विरेन्द्र कुमार जायसवाल। प०-प्रस्तावित रास्ता 10

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक-513 दिनांक-24/09/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत वकास्त नाम लगान पानेवाला जगरनाथ दास, श्री चैतन्य सिंह मुण्डा पिता-श्रीपति सिंह मुण्डा सः दारूआड़ा, पो०-बारेडीह, थाना-तमाड़ राँची के नाम से दर्ज है।
- (2) विक्रेता स्वयं पंजी-II रैयत है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम चैतन्य सिंह मुण्डा है। तथा रैयत के पास प्रस्तावित प्लॉट में रकबा-015 डी० जमीन है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2015-16 तक वसूली गयी है।
- (5) विक्रेता स्वयं जमाबंदी रैयत है। तथा खरिदगी पट्टा के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन टांड किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास अन्य खाता में रकबा-2.12 ए० भूमि शेष बचता है।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को मकान निर्माण हेतु बिक्री कर रहे है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो ही आदिवासी समुदाय के सदस्य है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना तमाड़ जिला राँची के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत विक्रेता चैतन्य सिंह मुण्डा पिता-स्व० श्रीपति सिंह मुण्डा, ग्राम-दारूआड़ा, पो०-बारेडीह, थाना-तमाड़ (राँची) जाति-मुण्डा (अनुसूचित जनजाति) पेशा-नौकरी, को क्रेता शिव शंकर सिंह मुण्डा पिता-श्री टहल सिंह मुण्डा, ग्राम-दुल्मी, पो०-बारेडीह, थाना-तमाड़ (राँची) जाति-मुण्डा (अनुसूचित जनजाति) पेशा-नौकरी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।


न्यायालय के द्वारा दिनांक-08/08/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता चैतन्य सिंह मुण्डा पिता-स्व० श्रीपति सिंह मुण्डा, ग्राम-दारुआड़ा, पो०-बारेडीह, थाना-तमाड़ (राँची) जाति-मुण्डा (अनुसूचित जनजाति) पेशा-नौकरी, को क्रेता शिव शंकर सिंह मुण्डा पिता-श्री टहल सिंह मुण्डा, ग्राम-दुल्मी, पो०-बारेडीह, थाना-तमाड़ (राँची) जाति-मुण्डा (अनुसूचित जनजाति) पेशा-नौकरी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)a के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।


भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
गोसाईडीह	बुण्डू/13	97	317	015 डी० <u>चौहददी:-</u> उ०-नीज विक्रेता। द०-खगेश्वर महतो वगैरह। पू०-विरेन्द्र कुमार जायसवाल। प०-प्रस्तावित रास्ता 10 फीट का।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।


भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।